

अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई पर प्रहार

चर्चा में क्यों ?

- ❖ हाल ही में स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन बनाम हार्वर्ड मामले में एक अभूतपूर्व फैसले में, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट (SCOTUS) ने हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना (UNC) में नस्ल आधारित प्रवेश नीतियों को असंवैधानिक और चौदहवें संशोधन में समान सुरक्षा खंड का उल्लंघन माना।
- ❖ मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के अनुसार, "नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का अर्थ है यह सब खत्म करना है।" यह निर्णय सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) कार्यक्रमों पर गहरा प्रभाव डालता है, जहाँ 'जाति' ऐतिहासिक रूप से टेक्सास और मिशिगन जैसे कॉलेज प्रवेशों में विविधता को बढ़ावा देने का एक कारक रही है।
- ❖ भारत का संवैधानिक अधिदेश, जो वास्तविक समानता की बात करता है और अधिक उचित परीक्षण को अपनाता है, इसी वजह से भारतीय अदालतों का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हार्वर्ड फैसले से जुड़ने की संभावना नहीं है।
- ❖ 'सकारात्मक कार्रवाई को लेकर भारतीय और अमेरिकी संविधान बिल्कुल अलग हैं।'

SCOTUS ने अपने फैसले को चार कारणों से रेखांकित किया

पहला -

- ❖ समान सुरक्षा खंड रंग पर अंधा बना हुआ है और "समान सुरक्षा" शब्द का अर्थ समान उपचार है।
- ❖ इस प्रकार, नस्ल-आधारित सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) इसका उल्लंघन करती है।

दूसरा -

- ❖ इस तरह के किसी भी उल्लंघन को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब राज्य के पास एक अनिवार्य उद्देश्य हो, और इसे प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) नितांत आवश्यक है।



- ❖ न्यायिक जाँच को सक्षम करने के लिए राज्य को इस उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए। अदालत ने हार्वर्ड और UNC के "भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित करने" जैसे उद्देश्यों को सराहनीय, लेकिन अस्पष्ट पाया।

तीसरा -

- ❖ न्यायालय ने पुनः दोहराया कि सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) नीतियों में 'सनसेट क्लॉज' होना चाहिए। हालाँकि, हार्वर्ड और UNC दोनों में इसका अभाव था।
- ❖ अदालत ने माना कि सकारात्मक कार्रवाई नस्लीय रूढ़िवादिता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए या नस्ल के आधार पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी आधार पर दो पहलुओं को समस्याग्रस्त माना गया है।
- ❖ चूँकि भारतीय अदालतें अक्सर अमेरिकी निर्णयों का सहारा लेती हैं और जाति और नस्ल (भारत और अमेरिका) के आधार पर भेदभाव के साझा इतिहास को देखते हुए, भारत के लिए इस निर्णय के निहितार्थ की जाँच करना प्रासंगिक है।

दो अलग-अलग संविधान

- ❖ भारतीय और अमेरिकी संविधान सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में एक-दूसरे से भिन्न हैं।
- ❖ अमेरिकी संविधान केवल "समान सुरक्षा" से इनकार करने पर रोक लगाता है, जिससे मौजूदा न्यायाधीशों के आधार पर इस अस्पष्ट वाक्यांश की विभिन्न व्याख्याएं होती हैं। आज के बहुमत के लिए, इसका वही मतलब है जो 19वीं सदी में था: रंग-अंधता। इसका मतलब जानबूझकर ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित जातियों के साथ अलग व्यवहार करना है।
- ❖ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) फैसले ने कॉलेजों को विविधता को बढ़ावा देने के नए तरीकों की तलाश में छोड़ दिया है।
- ❖ भारतीय संविधान अधिक स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से शिक्षा (अनुच्छेद 15) और नौकरियों (अनुच्छेद 16) के मामलों में पिछड़े वर्गों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 स्पष्ट रूप से नौकरियों में "आरक्षण" की अनुमति देता है, जो कि भारतीय संविधान के लिए अद्वितीय है।
- ❖ वास्तव में, भारत में आरक्षण प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को अधिनियमित मूल संविधान का हिस्सा था, जो शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) के विपरीत था, जिसे अगले वर्ष प्रथम संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था।
- ❖ अमेरिका के विपरीत, भारत की अदालतें इस बात पर बहस नहीं करती हैं कि क्या सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) मौलिक रूप से स्वीकार्य है, क्योंकि संविधान निर्णायक रूप से उस प्रश्न का उत्तर देता है।

औपचारिक बनाम वास्तविक समानता

- ❖ एक और अंतर समानता की धारणा है जो दोनों न्यायक्षेत्रों में सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) की नींव रखती है।

- ❖ अमेरिका सार्वभौमिक रूप से नस्ल के आधार पर सभी भेदभावों को खत्म करना चाहता है, इसका कारण यह है कि समानता का अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग मतलब नहीं हो सकता है।
- ❖ यह सकारात्मक कार्रवाई (सकारात्मक भेदभाव) के लिए भी लागू होता है जिसे अफ्रीकी-अमेरिकियों या हिस्पैनिक्स (या अन्य समूहों) द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है।
- ❖ इस प्रकार, ऐसे उपाय जो किसी भी तरह से एक जाति को दूसरे से अलग मानते हैं, जिसमें शिक्षा में प्राथमिकता भी शामिल है, को सख्ती से और समानता के खिलाफ देखा जाता है।
- ❖ समानता के इस संकीर्ण दृष्टिकोण को औपचारिक समानता कहा जाता है और यह अमेरिकी अदालतों को व्यापक नस्ल आधारित जागरूक उपायों की अनुमति देने से रोकता है।
- ❖ दूसरी ओर, भारत नस्ल या जाति के सभी भेदभावों को एक जैसा नहीं मानता है। कुछ वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जिन्होंने अतीत में भेदभाव का सामना किया है, उन्हें दूसरों के साथ समान स्तर पर नहीं माना जाता है। उन्हें समान अवसर प्राप्त करने में मदद करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें आरक्षण तक पहुंच मिले।
- ❖ न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू ने 1976 में कहा था कि, "अवसर की समानता की धारणा का अर्थ केवल तभी है जब एक सीमित अच्छा या, वर्तमान संदर्भ में, सीमित संख्या में पदों को उन आधारों पर आवंटित किया जाना चाहिए जो प्राथमिकता से नागरिकों के किसी भी वर्ग को बाहर नहीं करते हैं।" इस प्रकार, आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जो समानता को आगे बढ़ाता है।
- ❖ इसे समानता की मूल धारणा कहा जाता है और यह भारतीय न्यायालयों को संवैधानिक जनादेश के अनुरूप आरक्षण समर्थक निर्णय पारित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस संदर्भ में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय मामले जैसा निर्णय भारतीय अदालतों के लिए अकल्पनीय है।

संवैधानिकता के लिए परीक्षण

- ❖ इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण भी काफी भिन्न होता है कि सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण संवैधानिक है या नहीं।
- ❖ अमेरिका में नस्ल के आधार पर भेदभाव पैदा करने वाले सभी उपायों की कड़ी जांच होती है। इसका अर्थ है कि एक उपाय संवैधानिक रूप से तभी स्वीकार्य है जब यह एक बाध्यकारी राज्य हित को आगे बढ़ाता है और इस तरह के हित को प्राप्त करने के लिए संकीर्ण रूप से तैयार किया गया है।
- ❖ अमेरिका में एकमात्र स्वीकार्य राज्य हित एक विविध छात्र निकाय की आवश्यकता है। इस कदम का विविधता से गहरा संबंध है। यह एक उच्च मानक है जो विश्वविद्यालयों के लिए ऐसे प्रवेश कार्यक्रम तैयार करना बेहद कठिन बना देता है जो अल्पसंख्यक जाति के लिए अनुकूल हों।

- ❖ किसी भी व्यापक उपाय को बहुत सावधानी से देखा जाता है, ताकि गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अल्पसंख्यक की कीमत पर नुकसान न हो।
- ❖ इसके बिल्कुल विपरीत, भारतीय अदालतों के पास संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत मिलने वाले बहुत अलग मानक हैं। 'शिक्षा' और 'सार्वजनिक रोजगार' पहले से ही आरक्षण के वैध उद्देश्यों के रूप में संविधान में निहित हैं। इस प्रकार, अदालतों द्वारा अपनाए गए मानक इस बात पर केंद्रित हैं कि क्या आरक्षण चाहने वाला वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। रोजगार में, इसके लिए राज्य से मात्रात्मक डेटा के प्रमाण की आवश्यकता होती है।
- ❖ यदि ये दो मानदंड पूरे होते हैं, तो भी व्यापक आरक्षण उपाय संवैधानिक हैं और इसके बजाय आरक्षण को 50% तक सीमित करके गैर-अल्पसंख्यक के हितों का ध्यान रखा जाता है।
- ❖ भारत का संवैधानिक जनादेश वास्तविक समानता का समर्थन करता है और अधिक उचित परीक्षण को अपनाता है।
- ❖ भारतीय अदालतें SCOTUS के हार्वर्ड फैसले के साथ जुड़ने की संभावना नहीं रखती हैं।
- ❖ हालाँकि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के समान, एक सूर्यास्त खंड पर जोर संभावित रूप से प्रतिध्वनित हो सकता है।

